‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.12.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रुपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 3 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 दिसंबर, 2015

समाज फिल्म नहीं है

जागृति बढ़ने के साथ–साथ लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती गयीं। आर्थिक, कला, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में संभावनाएं संकीर्ण होने के कारण राजनीति में स्पर्धा तेज हुई। लोग खाली होगें तो कहीं न कहीं जाएंगे ही। लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तमाम प्रयास करने होते हैं। इस तरह से राजनीति में भीड़ बढ़ती गयी और कुछ लोग अपनी तमाम जरूरतों की पूर्ति यहीं से करने लगे। कुछ लोगों के लिए राजनीति व्यवसाय बन गयी। कुछ असामाजिक तत्व अपनी सुरक्षा एवं आर्थिक लाभ के कारण भी राजनीदि में दस्तक दिए। येन–केन–प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने की होड़ पैदा हो गयी और यह धीरे–धीरे स्वार्थपरता की ओर धकेलती गयी। ऐसी परिस्थितियों की उपज होने लगी कि एक पार्टी के द्वारा कही गयी बात दूसरी पार्टी को विरोध करने की संस्कृति पैदा हो गयी। ऐसी परिस्थितियों में लोग विधायिका पर विश्वास कम न्यायपालिका पर ज्यादा करने लगे। न्यायपालिका ने भी राजनैतिक अविश्वसनीयता और फूट का फायदा उठाना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार और तमाम समस्याओं का जब हल विधायिका व कार्यपालिका के माध्यम से नहीं मिला, तो लोगों ने जनहित याचिका का सहारा लेना शुरू कर दिया।

जनता की सीधे भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव में होने के कारण इनसे अपेक्षाएं भी ज्यादा हो गयीं। चुनाव के दौरान राजनैतिक लोगों ने भी वैसा ही वायदा किया कि जैसे सारी समस्याओं का समाधान उन्हीं से गुजर करके जाती है। कार्यपालिका और विधायिका सरकार के परोक्ष प्रतिफल हैं, इसीलिए वहां क्या हो रहा है, जनता का खास सरोकार नहीं रहता है। धीरे–धीरे ऐसी अवधारणा पैदा हुई कि व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ी हो उसके लिए राजनैतिक लोग जिम्मेदार। धीरे–धीरे वातावरण ऐसा पैदा हो गया कि सबसे खराब जगह राजनीति ही हो गयी है। लोग अपनी जिम्मेदारी की चिंता न करके अधिकार और सुविधाएं चाहते हैं। जनतंत्र में इस तरह की सोच बहुत खतरनाक है। इससे कुछ अच्छे लोग निरूत्साहित हुए और दूसरे क्षेत्र में चले गए।

यह सवाल पैदा होता है कि आखिर में देश का नेतृत्व तो राजनैतिक लोगों के हाथ में है तो असफलताएं भी इन्हीं के कारण हैं। यह यक्ष प्रश्न है, जिसको समझना होगा। किसी समाज और देश में कितना भी क्षमतावान और महान नेतृत्व हो, अगर उसके साथ मध्यम वर्ग ईमानदारी से नहीं खड़ा होता तो इसमें नेतृत्व की गलती नहीं है। मध्यकाल में भारत यूरोप के दूसरे देशों के समकक्ष था लेकिन 18वीं एवं 19वीं सदी तक आते–आते वे आगे निकल गए। जो वहां हो सका हमारे यहां अभाव रहा। यूरोप में रेनेशां एवं रिफर्मेशन का दौर पैदा हुआ, जहां पर वैज्ञानिक सोच, व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और लोगों के व्यक्तिगत अधिकार की बात जोरों से उठी। इसकी वजह से तकनीक, शोध और जनतंत्र आदि को पनपने का अवसर मिला। वहां मध्यम एवं उदारवादी वर्ग का जन्म हुआ, जो प्रगतिशील और आधुनिक ख्याल का था। हमारे यहां मध्यम वर्ग से ज्यादा अभिजात्य वर्ग या गरीब तबका ज्यादा उदारवादी है। विकसित देशों में राजनीति को आकर्षक नहीं माना जाता और न ही बहुत भीड़–भाड़ है, क्योंकि अन्य विकल्प बेहतर हैं। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों में राजनीति के प्रति आकर्षण नहीं के बराबर है। वैसी परिस्थिति अगर हमने नहीं पैदा किया तो राजनीति में भीड़–भाड़ बढ़ती रहेगी और जनतंत्र की जो अवधारणा है, उसको हकीकत तक नहीं पहुंचाया जा सकता।

गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला ने हार्दिक पटेल के मामले की सुनवाई के समय में कहा कि आरक्षण और भ्रष्टाचार से देश बर्बाद हो रहा है। उन्होंने अचानक ही ऐसा नहीं कह दिया। सन् 60–70 के दशक के जज ऐसा नहीं कह सकते थे, क्योंकि उस समय इन्होंने कानून बनाना नहीं शुरू किया था। हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सभी के परिभाषित कार्यक्षेत्र हैं। न्यायपालिका का अधिकार–क्षेत्र विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का व्याख्यान करना है न कि कानून बनाने का। अब तो मान्यता हो गयी है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश का कानून है। संसद देश की जनता की इच्छा है, अर्थात् जो लोग चुनकर आते हैं, उनको जनता भेजती है। जब से कोलेजियम सिस्टम हुआ है, तब से विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप जज की नियुक्ति में समाप्त हो गया है। पूरी न्यायपालिका को व्यवहारिकता में 5 नागरिक अर्थात् पांच जज संचालित कर रहे हैं।

जनता महंगाई, विकास, भेदभाव आदि की समस्याओं का समाधान जन–प्रतिनिधियों से खोजती है। जरूरी नहीं है कि जब प्रतिनिधि कुछ करना चाहे तो लोग उनका साथ दें। उदाहरण के तौर पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने जब जनता के सामने आई.पी.एस. अधिकारी से जवाबदेही मांगी तो अधिकारी का व्यवहार कुछ अजीब सा था। यदि मंत्री चुप रह जाते तो जनता कहती कि यह नेता बड़ा दब्बू है। अगर कार्यवाही की तो कुछ लोगों के साथ–साथ मीडिया ने इस घटना को इस तरह प्रदर्शित किया कि जैसे कोई गलत कार्य हुआ हो। कुछ बगावती अधिकारियों को जनता हीरो समझने लगती है। आज हालत लगभग वैसी ही है, जो हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है। हिन्दी फिल्म में जन–प्रतिनिधि को जोकर और अधिकारियों को मसीहा और अब वैसा कुछ वास्तविक जिंदगी में होने लगा है। जब थाने में रपट दर्ज न हो या कानून व्यवस्था खराब हो, विकास रूका हो तब जनता इन मसीहाओं के पास न जाकर जनप्रतिनिधि का दरवाजा खटखटाती है। जब जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हो जाते हैं तब की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं भी एक अधिकारी रहा हूं और इस वर्ग का जनता के प्रति कितना सहयोग रहता है, यह भी जनता हूं। इन्हें चुनाव हारने–जीतने का भय तो है नहीं, इसलिए अपनी मर्जी से काम करते हैं। थाने में रपट दर्ज न हो तो दोषी नेता और ऐसे अधिकारी के खिलाफ यदि कार्यवाही हो तो उसको हस्तक्षेप माना जाता है। दरअसल राजनीति के प्रति इतना ऋणात्मक रवैया लोगों में पैदा हो गया है कि सही करें या गलत करें, सब गलत।

आज़ादी के बाद जो बुनियाद शासन–प्रशासन की रखी गयी, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन संभव नहीं है। भ्रष्टाचार और निकम्मापन भी गोद में पलता रहा और धीरे–धीरे इसमें सभी शामिल हो गए। एक जनप्रतिनिधि, अधिकारी या व्यवसायी ईमानदार हो सकता है लेकिन जिस संस्था का वह हिस्सा है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर सकता। अब हम इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि इन समस्याओं को समग्रता में देखना पड़ेगा। कोई एक कर्तव्य करे और दूसरे देखते रहें इससे देश आगे नहीं जा सकता। हर जगह अधिकार लेने की बात तो जोर–जोर से होती है, लेकिन दायित्व निभाने की कभी–कभार। किसी एक संस्था या व्यक्ति के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि जिसके घुमाने से चाहत की पूर्ति हो जाएगी, बल्कि सभी को उसका हिस्सा बनना पड़ेगा।

- डॉ0 उदित राज

साथियो,

नव वर्ष 2016 की खुशियां पूरा देश मना रहा है। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेताओं व शुभचिंतकों के लिए नया वर्ष के कोई मायने नहीं हैं, जब तक कि कुछ नया न करें। यदि आंदोलन को गति नहीं मिलती, अधिकार बचाने के लिए हम संघर्ष तेज नहीं कर पाए तो हमारे लिए नववर्ष के क्या मायने ? आओ हम संकल्प लें कि इस नए वर्ष पर कुछ नया जरूर करें।

बार–बार अपील करने के बाद भी बहुत से साथी लोगों के नाम, मोबाइल नं. और ईमेल अभी तक नहीं भेज पाए या कम भेज पाए, उनसे निवेदन है कि आंदोलन को गति देने के लिए अधिक–अधिक नए लोगों के नाम, मोबाइल नं. और ईमेल हमें parisangh1997@gmail.com पर भेजें या एस.एम.एस. द्वारा भी 09015552266 पर भेज सकते हैं।

- डॉ0 उदित राज
राष्ट्रीय चेयरमैन, अजा/जजा परिसंघ

डॉ0 उदित राज ने लोक सभा में गुजरात हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आवाज उठायी

डॉ0 उदित राज 16वीं लोक सभा में पहले ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने न्यायपालिका पर सवाल किए। जब दो बार लोक सभा में बोले तब जाकर राज्य सभा के सांसद हस्ताक्षर अभियान के लिए सक्रिय हुए। अगर वे भी संसद में बोले होते तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता था। जस्टिस जे.बी. पर्दीवाल के खिलाफ राज्यसभा के 58 सांसदों ने महाभियोग चला कर उन्हें पद से हटाने हेतु हस्ताक्षर किए हैं।

जस्टिस पर्दीवाल ने कहा था कि इस देश को आरक्षण और भ्रष्टाचार आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उन्होंने कहा था कि आजादी के 65 साल बाद भी आरक्षण मांगना ठीक नहीं।

यदि डॉ0 उदित राज की ही तरह अन्य दलित सांसदों ने आवाज उठायी होती तो न केवल जज के खिलाफ कार्यवाही होती, बल्कि 400 जजों की नियुक्ति जो होने वाली है, उसमें महिलाओं, दलितों व पिछड़ों को भी भागीदारी मिलती।

+++

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 3 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 December, 2015

Society is not a fiction

With increasing awareness, the expectations of people are also increasing. In the fields of finance, education, arts, agriculture, opportunities have increases drastically, which has also led to an increase in the attraction towards politics. To fulfill their needs and desires, people are trying to go into different fields. Due to this, the number of people entering politics has increased; for some, it has become their only source of livelihood; for them, politics has become a profession. Some antisocial elements have also come into politics for their protection and monetary benefits. By hook or crook, people have the greed to obtain power; this has led to selfishness amongst those in public life. Due to these circumstances, it has become almost a culture for the thoughts and views of one political party to be mandatorily opposed by the other parties. In such circumstances the reliance and trust of the people in the legislature has reduced, to be replaced by a huge amount of trust in the judiciary. The judiciary has also started taking advantage of this mistrust and conflicts in the legislature. When problems like corruption, nepotism etc. could not be solved by the legislature and executive, people started resorting to Public Interest Litigations (PILs).

People are directly involved in electing their legislatures and representatives, that is why the expectations from public representatives have also increased. During elections, candidates also started making promises to solve each and every problem of the people, irrespective of whether it was in their domain to do so. The legislature and executive are opposite parts of the Government; hence people do not have a lot of interest in what is happening there. Slowly, the mindset of the people has become such that politicians are alone responsible for everything wrong with the system; the environments has become such that politics is the worst possible field to be in. Such thoughts are very dangerous for a democracy; due to this, some good people lost their interest and moved into other fields.

A question that often comes to mind is that since the leadership of the country is in the hands of politicians, they must be responsible for everything that is wrong with the country as well. This is a relevant question which must be understood. However good the leadership may be, it cannot succeed in any society or system which is not supported whole heartedly by the middle classes, nor is lack of such support the fault of those in politics. In the middle ages, India was equal to the European countries, but in the 18th and 19th centuries, they moved far ahead; what could be achieved there remained impossible for us. There was a Renaissance and Reformation in Europe, due to which there rose a scientific temperament, awareness of human rights and individual freedom; due to this technology, sciences and democratic thoughts could evolve over there. Due to this, there also grew a large middle class, with modern and progressive thought. In India, the middle classes are dormant, revolution and change has always been brought about by lower classes. In developed countries, there is not much attraction towards politics nor is there an overabundance of people in politics, since other professions are more rewarding. In the US, Japan and in European countries, there is almost nil attraction towards politics. Such circumstances must be brought about in our country as well, otherwise the number of people entering politics will only continue increasing with no benefit to the country, and the ideals of democracy will never be achieved.

Justice J B Pardiwala of the Gujarat High Court had said during a hearing into the Hardik Patel issue that corruption and reservation are destroying the country. This was not a random or off chance comment, judges in the 60s and 70s could not make such statements since they had then, not started making laws. In our Constitution, there are defined roles and areas of work for the legislature, executive and judiciary. The role of the judiciary is to implement and clarify laws made by the legislature, not to make laws. Now people have started believing that judgments of the Supreme Courts are laws. The Parliament is the voice of the people; representatives in Parliament are directly elected by the people. Since the time the collegium system has come into existence, there is no role either of the executive or legislature in selection of judges. The entire judicial system is being run by the 5 judges who form the collegium system.

People look for solutions of problems like price rise, developmental issues, discrimination etc. from their elected representatives. For example, when Shri Anil Vij, a Minister in the Haryana Government had asked an IPS officer for explanations in front of the people, her behavior left a lot to be desired; if the Minister had kept quiet, people would have assumed that he had no authority or power. If the event is studied about in detail, we come to the conclusion that some people and the media have portrayed this incident as though the Minister were at fault. Today people have started portraying some unthinking bureaucrats as heroes, the situation is similar to what is shown in Hindi movies where politicians are shown as jokers and bureaucrats play heroic roles. When the police does not act on their complaints, or some developmental works are not carried out, why then do people approach politicians and not the heroic bureaucrats. One can only imagine the situation that would arise if public representatives stop being active. I have also been a bureaucrat, and I know the kind of lack of sympathy they show towards people. They have no fear of losing elections; hence they work only as per their whims and fancies. If there no action by the police to resolve their genuine complaints, then people are held responsible and if then action is taken against such officers that is considered as overreach. People have developed such an apathetic attitude towards politicians that whatever they do, whether it be right or wrong, is considered to be wrong.

The basis that was used to form the basis of administration and legislature after independence; there cannot be a revolutionary change in society. Corruption and incompetence entered the system, and slowly it became a part of our daily lives. A public representative, official or businessman may be honest, but he alone cannot change the system he is a part of; now the country is at the stage where such problems must be looked at seriously. If only man fulfills his duties and responsibilities and others remain mere bystanders, then the country cannot progress. Everywhere people talk about getting their rights and privileges, rarely about their duties. One individual or organization does not have a magic wand to alone change the system and ensure that everyone has their wishes fulfilled; everyone has to become the change they want.

- Dr. Udit Raj

Friends,

The whole country is celebrating the festivities of New Year 2016. It does not have any meaning for the leaders of All India Confederation of SC/ST Organizations till we do some novel and meaningful thing. If our agitation does not get impetus, New Year does not have any meaning for us. Let us solemnly pledge to do something new for the Confederation in the New Year 2016.

Many of those members who have not sent names of people, their mobile numbers and e-mail IDs to us so far, despite our repeated appeals, may do so now and send more and more names of people, their mobile numbers and e-mail IDs through parisangh1997@gmail.com or SMS this information at mobile number 09015552266.

Dr. Udit Raj
National Chairman,
Confederation of All India SC/ST Federations

Dr. Udit Raj raised his voice against Gujarat High Court Judge

New Delhi, 18 December, 2015: Dr. Udit Raj is the first Member of Parliament who has questioned the judiciary in the 16th Lok Sabha. When he raised the issue in the Lok Sabha twice, only then Members of Parliament in the Rajya Sabha became active for the signature campaign. Had they also raised their voice in Parliament, we would have solved a very big problem. Impeachment proceedings have been initiated against Justice J.B. Pardiwala in Rajya Sabha by 58 Members of Parliament who had opined that reservation and corruption is not allowing this country to move forward. He had said that it is not right to seek reservation even after 65 years of independence.

Had other Dalit Members of Parliament raised their voice in Parliament then not only action could have been taken against the said judge but women, Dalits and backward classes would get appropriate representation in the forthcoming appointments of 400 judges.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya

CONFEDERATION GHEARO OF J&K ASSEMBLY FOR RESERVATION IN PROMOTION

A meeting of the state unit of the J&K Confederation was held on 27th December,2015 at Gujjar Charitable Trust, Jammu by staunch workers of the Confederation in which the workers deliberated about the social and political facets of reservation, as well as discussing the implications arising out of the judgment of the Hon'ble high Court of Jammu and Kashmir barring the prospect of reservation in promotion in government services. Due to this denial of reservation in promotion, massive resentment is brewing up amongst reserved categories and people have started struggling for its revocation. State President of Confederation Shri R K Kalsotra said that everyone is aware that the Confederation has been agitating about this issue, and have organized a massive rally at Jammu on 1st November 2015, dharna and rallies at districts and Tehsil headquarters, as well as a National Rally at New Delhi on 7th December 2015 highlighting the injustices done to people belonging to reserved categories. In this regard, memoranda have been submitted to the Prime Minister, and Chief Minister and Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir. 35 MLAs and some Ministers belonging to reserved categories have apprised the Government about the serious concerns due to the imbroglio arising out of the High Court judgment. However, no seriousness has been shown by the Government in this regard; most requests have been met only by chilly silence.

The loss to the reserved categories in promotional avenues is a grave concern for the Confederation. It was unanimously decided in the meeting that the Confederation will stage a Gherao of the State Assembly on its opening day on 18th January 2016 to press the Government They further resolved to ask the Government to immediately revoke this order if the High Court and adopt the 77th, 81st, 82nd and 85th Amendments along with the amendments to the Prevention of Atrocities Act, as well as to extend the jurisdiction of the National Commission for SC/STs to J&K. Confederation leaders further apprised that cadre from all districts of the state will participate in the Assembly Gherao. Others who spoke in support of this action include former Minister Shri Jagjiwan Ram, ex Minister Shri Yash Pal Kundal, former MLC Janab Nizamudin Khatana, B L Bhardwaj, Darshan Bhagat, Ramesh Sarmal, R L Kainth, Sabir Choudhary, Amar Nath Bhagat, Roshan Choudhry, Saif Choudhry, Akhtar Hussain, Hem Raj Langeh, Bansi Lal, , Harjeet Samyal, Isher Singh Basith, Ch Mohd Shafi, Atish Bhardwaj, Charan Dass, Som Bhardwaj, Harminder Singh Bashir Ahmed Rather and Abdul Wahid Zarger.

✦✦✦

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Issues raised by Dr. Udit Raj during Parliament session held in November-December, 2015

Issue of reservation in promotion during zero hour on 30th November 2015

Hon'ble Deputy Speaker, I wish to draw your attention towards a very important issue. Today in Uttar Pradesh, around 2 lac employees are facing demotion; many of them have already been demoted. Those belonging to SC/ST communities who had joined on general merit as Inspectors and Constables have also been demoted. They are protesting on roads. Those who were Chief Engineers have become Executive Engineers. In 1997, 5 anti reservation orders were issued before the Vajpayee Government came to power. I am also the National Chairman of All India Confederation of SC/ST Organizations. We fought. Vajpayee Ji passed the 85th Constitutional Amendment to clear the path for reservation in promotion. In 2006, the Supreme Court passed orders saying that this Constitutional Amendment is invalid. We fought against this order as well, so reservation in promotion was saved. The 5 judge bench had said that reservation in promotion is possible, yet the order of the 2 judge bench of the Lucknow High Court on 4.1.2011 says such reservation is not possible. I believe that this is wrong since order of a 5 judge bench of Supreme Court cannot be overturned by a 2 judge bench of a High Court. Employees in Uttar Pradesh are very agitated with the present Samajwadi Government at the state. Lacs are reaching Ramleela Maidan on 7th December to put forth their case. There is no one there to hear their pleas, which is why I am requesting the Government to act immediately so demotions are stopped.

✦✦✦

Justice J B Pardiwal of the Gujarat High Court said reservation is destroying the country. I raised this issue during zero hour on 4th December 2015

Madam Speaker, I want to draw your attention to a very important issue. In 2004, a Reservation Bill was introduced in Rajya Sabha, this was passed in 2009. There were some faults in the Bill, when it was opposed; the Bill was withdrawn with the condition that it would be reintroduced. However, this condition could not be fulfilled. When UPA came back to power, even then the Bill was not reintroduced. Under the Reservation Act, we are not asking for any additional powers or rights; reservation has been regulated by executive orders till now. There are a number of anomalies due to these executive orders; also there is a need for comprehensive legislation. If this was done, then Gujarat High Court Justice J B Pardiwal would not have said that corruption and reservation are two things destroying the nation. Judges have started saying such things. I expect all parties unite for his impeachment.

Reservation is being compared with corruption. This is all due to the collegium system. Madam, the Parliament has passed the Constitutional Amendment for forming the National Judicial Appointments Commission, which was declared void by the collegium. There is a third house in the country, which is unelected and is annulling the laws made by this Parliament. Due to this, lacs of employees in Uttar Pradesh are being demoted. Collegium system has produced such judges. This is why I am appealing to you that such judges be impeached.

✦✦✦

During zero hour on 11th December 2015

Madam Speaker, an Hon'ble Member has just raised the issue of Shashi Mawar, I am aware of this issue and I want to associate with him. The Hon'ble Minister was also informed about this issue; however, there is a need to build pressure on the AIIMS management. Almost every day there are some cases of discrimination over there. Today, you have given me an opportunity to speak; I wish to start with a discussion about the Vajpayee Government.

Madam, the Vajpayee Government had done a lot of good works. At that time, employees from all over the country gathered together from 1997 to 2000 under my leadership. When I met Vajpayee Ji, he said that the 5 anti reservation orders were issued during the Gujral and Devegowda Governments, Vajpayee Ji has a large heart, he made 3 constitutional Amendments, out of which the 85th Amendment was brought to the Supreme Court. There was a hearing in this matter in 2006 before a 5 judge bench of the Supreme Court, which is known as the Nagaraj case. The Government did the right thing, the Amendment was saved; however, a lot of conditions were attached to it, which has lead to confusion and misconceptions. It is because of this that lacs of employees in Uttar Pradesh are being demoted. I have raised this issue before as well that the Gujarat High Court judge has said that reservation and corruption are destroying the nation. He has compared corruption and reservation. I want to tell him that reservation has benefited the nation. Due to this, wealth of Dalits and the poor has increased, they have become consumers which has benefited corporations and helped them grow. This has led to creation of wealth; the country's GDP and growth rate have increased. The judge who has said the corruption has destroyed reservation is wrong. That is why I want to say, through you, that people with people with such mindsets should be stopped. Madam, this is an insult for 30 crore people, an insult of Dalits and Adivasis. It is wrong for the judge to say that reservation is destroying the country.

✦✦✦

(पृष्ठ 5 का शेष)

सामान्य वर्ग की भांति बिजली व अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। हमारी मांग है कि इन्हें भी अथारिटीज द्वारा मीटिंग का समय अलग से दिया जाए और इनकी समस्याओं का निवारण हो। कुछ स्थानों पर तर्क दिया जाता है कि अजा/जजा वर्ग की समितियों में मतभेद है, जिसके कारण सभी को बुलाना संभव नहीं है। यह मात्र एक बहाना है, यदि उनमें मतभेद भी हो तो उनकी समस्याएं सुनकर उनका निवारण करने में कोई हर्ज नहीं है। सभी विभागों में अजा/जजा के लगभग 25 प्रतिशत कर्मचारी हैं, ऐसे में उनकी समितियों को अनदेखा करने, निराश करने और उनके मुद्दों पर ध्यान न देने से सरकारी मशीनरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः हमारी मांग है कि अजा/जजा वर्ग की समितियों को मैनेजमेंट द्वारा अलग से समय दिया जाए और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए।

नवंबर-दिसंबर 2015 के संसद सत्र में
डॉ. उदित राज द्वारा लोक सभा में उठाए गए मुद्दे
30 नवंबर, 2015 को शून्यकाल के दौरान पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के इस समय लगभग दो लाख कर्मचारी डिमोट हो रहे हैं, काफी हद तक हो भी गए हैं। जो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पुलिस में अपनी मेरिट पर भर्ती हुए थे और जो एस.सी./एस.टी को बिलांग करते थे, उनको डिमोट कर दिया गया है। वे सड़कों पर आ गए हैं। जो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, वे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए हैं। सन् 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे और उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार हुई थी। मैं इत्तेफाक से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आंदोलन हुआ। वाजपेयी जी की सरकार ने 85वां संविधान संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उसी 85वें संविधान संशोधन के ऊपर सुनवाई की कि वैध है कि नहीं है। उसकी भी पैरवी हमने ही की थी, तब जाकर पदोन्नति में आरक्षण बचा था। पांच जजेज की बेंच का यह फैसला था कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन लगता है कि लखनऊ हाई कोर्ट की दो जजेज की बेंच का फैसला 4.1.2011 को कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, जबकि मैं समझता हूं कि गलत है, क्योंकि पांच जजेज की बेंच से यह छोटी बेंच है और हाई कोर्ट का है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी/अधिकारी इस समय बहुत प्रताड़ित हैं और यहां समाजवादी पार्टी की सरकार से बड़े दुखी हैं। हजारों-लाखों की संख्या में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में अपनी बात को कहने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि फौरन सरकार कदम उठाये और उनकी पदावनति नहीं की जानी चाहिए।

अहमदाबाद के जज जस्टिस जे.बी. परदीवाल ने कहा कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। इसके खिलाफ 4 दिसंबर 2015 को शून्यकाल के दौरान लोक सभा में मुद्दा उठाया

अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में रिजर्वेशन बिल इनैक्ट करने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया गया था, वह वर्ष 2009 में पास भी हुआ। उसमें कुछ त्रुटियां आई, जब उसका अपोज हुआ तो the Bill was withdrawn with the condition that the Bill will be re-introduced. However, that could not be re-introduced. यूपीए का दूसरा सेशन आया, उस टेन्योर में भी यह नहीं हुआ। अभी वह बिल है। रिजर्वेशन ऐक्ट यह है कि हम अलग से कोई एडिशनल रिजर्वेशन की पॉवर या राइट्स नहीं मांग रहे हैं, बल्कि reservation, so far, has been regulated by executive orders. जो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुए हैं, उनमें आर्नोमलिज बहुत थीं तो एक कम्प्रेहेन्सिव लॉ बन जाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ होता तो गुजरात हाई कोर्ट के जज जे.बी. परदीवाल यह नहीं कहते कि रिजर्वेशन और करप्शन दो चीजें देश के लिए हिंडरेंस पैदा कर रही हैं। जजेज ऐसा कहने लगे हैं। मैं सारी पार्टियों से उम्मीद करता हूं कि इम्पीच किया जाना चाहिए।

Reservation is being compared with corruption. यह कोलिजियम सिस्टम की देन है। मैडम, संसद ने जो ज्यूडिशियल अप्वांटमेंट कमीशन पास किया है उसको कोलेजियम ने खारिज किया There is a third house in this country which is unelected and which is annulling the laws made by this Parliament यह इस देश में चल रहा है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी डिमोट हो रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम ने ऐसे जजेज को प्रोड्यूस किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ऐसे जजेज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए।

11 दिसंबर, 2015 - शून्यकाल के दौरान

माननीय सदस्य ने जो अभी-अभी मुद्दा उठाया है – शशि मावर का, उससे मैं अवगत हूं और उनसे एसोसिएट करता हूं। माननीय मंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन एम्स प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है। आए दिन वहां पर डिसक्रिमिनेशन होता है। आपने आज मुझे जो बोलने का मौका दिया है, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं वाजपेयी जी की सरकार से।

मैडम, वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए। उस समय पूरे देश के कर्मचारी – अधिकारी मेरे नेतृत्व में इकट्ठा होते थे, वर्ष 1997 से 2000 तक और उस समय जब मैं वाजपेयी जी से मिला था तो उन्होंने कहा कि करे कौन, भरे कौन अर्थात् जो पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे, वे गुजराल और देवगौड़ा जी की सरकार के समय में हुए थे। वाजपेयी जी का बड़ा हृदय था, उन्होंने तीन संविधान संशोधन किए, वर्ष 2001 में 85वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया और सुप्रीम कोर्ट की पांच जजेज वाली पीठ के सामने वर्ष 2006 में सुनवाई हुई इस मामले को नागराज केस के नाम से जाना जाता है। सरकार ने ठीक से पैरवी की, अमेंडमेंट बचा तो जरूर, लेकिन उसमें अगर-मगर लगा दिए गए, जिसकी वजह से तमाम भ्रम पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारियों का डिमोशन इसी आधार पर हो रहा है। जिस तरह से न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, चाहे नेशनल ज्यूडिशियल एप्वाइंटमेंट कमीशन की बात हो। मैं पहले भी इस बात को उठा चुका हूं कि गुजरात हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आरक्षण और करप्शन देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आरक्षण और करप्शन की तुलना की है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आरक्षण से देश को फायदा हुआ है। इससे दलितों की, गरीबों की क्रय-शक्ति बढ़ी है, उन्होंने वस्तुएं खरीदी हैं, जिनसे कारपोरेट हाउसेस डेवलप हुए हैं। इससे धन का उपार्जन हुआ है, देश की जीडीपी बढ़ी है, ग्रोथ रेट बढ़ी है। जो जज महोदय कह रहे हैं कि इससे देश बर्बाद हो रहा है, वह गलत कह रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता वाले जजेज पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैडम, यह 30 करोड़ जनता का अपमान है, दलितों-आदिवासियों का अपमान है। एक जज का यह कहना कि रिजर्वेशन से देश बर्बाद हो रहा है, गलत है।

18 दिसंबर, 2015 को अनिवार्य मतदान पर चर्चा के दौरान

महोदय, मुझे आपने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर अपनी बात सदन में रखने का मौका दिया है, इसके लिए आपका आभारी हूं। जहां तक अनिवार्य मतदान की बात है, भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है और शिक्षा का लेवल भी अलग है। जाति को ध्यान में रखा जाता है, पैसे को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में लोगों को बीच का रास्ता निकालना उचित होगा। मतदान को अनिवार्य तो नहीं बनाया जा सकता है लेकिन जो वोट न दें उनके सर्टिफिकेट में या एनुअल अप्रेजल्स या कुछ दूसरे इंसेंटिव्स होते हैं, उन पर मार्क किया जा सकता है लेकिन मतदान अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। India is one of the largest democracies in the world. We cannot force upon the people this policy. Of Course we can pursue it. But first, they need to be educated. एजुकेशन की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्त करके लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि हां वोट करना उनके लिए जरूरी है न कि उनके ऊपर भार बनाकर अनिवार्य मतदान कराया जा सकता है। अनिवार्य मतदान से यह जरूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए। कि जब चुनाव होता है तो मतदाता के माइंड की स्थिति कुछ और होती है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद मतदाता की मनोस्थिति कुछ और होती है। जब चुनाव नहीं होता है तो उसकी नजर में बेसिक सुविधाएं चाहे बिजली हो, पानी हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य की हो, ये सभी सुविधाएं वह सोचता है कि उसे जरूर मिलनी चाहिए। इन्हीं सुविधाओं की चिंता मतदाताओं को होती है। जब चुनाव का समय आता है तो आईडोलोजी के आधार पर, जाति के आधार पर, पैसा देकर भी लोग वोट देते हैं और काफी हद तक वोट खरीदे भी जाते हैं और दबाव डालकर भी वोट लिए जाते हैं। लोगों में दो तरह की मानसिकता बन जाती है – वोट डालने से पहले की मानसिकता और वोट डालने के बाद की मानसिकता। अगर इस मानसिकता के दौर में मतदान अनिवार्य बनाया जाएगा तो it would not be a true reflection of the will of the people in the Parliament. मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए बल्कि कुछ न कुछ पैरामीटर्स तय किए जाने चाहिए।

Even the smaller countries are facing problems in this case and they want to revert their decisions. They are looking back. जैसा अमेरिका में भी नहीं हुआ है, ये काफी पढ़े-लिखे हैं। इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, यूरोप में है, भारत में इतना संभव नहीं हो सकता। लेकिन वेस्टेड इंटेरेस्ट वाले लोग इसका एडवेंटेज उठा लेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में इसका कोई फायदा नहीं होगा। To promote the values for good governance, मुझे नहीं लगता कि इससे गुड गवर्नेंस लाई जा सकती है। डेमोक्रेसी का पर्स्यूएशन टेक्टस से होता है। Persuasion and consensus are the basic elements for exercising the franchise. जब फ्रेंचाइज को ही एक्सरसाइज करता है तो अपनी कंसेंस से करता है, फिर उसका कंसेंस खत्म हो जाएगा। They will be forced upon to cast vote. That is not possible. Of course, even if it is made, कई जगहों पर लोकल बॉडीज में भी गया है। I am getting the feedbacks. The feedbacks are not good. लोकल बॉडीज में आफकोर्स हो भी सकता है। At the lower level and at the village level, it may be possible. Of course, I cannot say it also, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े पैमाने पर, लोक सभा या विधान सभा के स्तर पर यह संभव नहीं लगता है। इसलिए कंसेंस को छोड़ा जाना चाहिए। यह जरूर है कि चुनाव आयोग को और हम सबको कुछ न कुछ इस बारे में करना चाहिए। जैसे मिडिल क्लास है, वे सिर्फ क्रिटीसिजम ही करते हैं, वे सबको रिजेक्ट करेंगे, सबको क्रिटिसाइज करेंगे कि यह भी गलत है, वह भी गलत है, एक्जीक्यटिव भी गलत है, पॉलिटीशियन गलत हैं। पॉलिटिशयन को इतना बुरा पेश करेंगे, इंडियन सिनेमा से लेकर और मिडल क्लास जो डिसकशन या डिबेट करता है। चाय के ऊपर या अपने घरों में। लेकिन उनसे पूछा जाए कि चुनाव के दौरान क्या वह एक बटा भी नहीं निकाल सकते कि जाकर वोट करें। इसलिए यह मौका तो जरूर मिलता है कि the middle-class people are just for criticism. जो कि हम लोगो के लिए एस्पिरेशन पास करते करते हैं। यह मिडल क्लास फिनोमना ज्यादा है। मैंने देखा है कि जो गरीब हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, वे मजदूरी न करें तो शाम को उनका चूल्हा नहीं जलताहै, रोटी का इंतजाम नहीं होता है, फिर भी वे वोट डालने आते हैं। परंतु जो बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं, अपर क्लास हैं, अपर मिडल क्लास है, क्या डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स को ही गिनाने के लिए हैं? उनके ऊपर जरूर कुछ-न कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए। We must hammer on them that they, in fact, failed to discharge their basic citizenship duty. जहां हाइली एजुकेटेड कालोनीज हैं, पॉश कॉलोनीज हैं, वहां से वोटर कम निकलता है। उनका एक और भी लॉजिक होता है कि वोट देने से क्या फायदा, सभी तो चोर हैं, करप्ट हैं। इसका मतलब तो यही है कि उन्हें फिर देश छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर इस देश का वे हिस्सा हैं, लोकतंत्र का फायदा वे ले रहे है, I have seen that the voter percentage is down more in South Delhi as compared to other places. उसी सरकार को क्रिटसाइज करते हैं, जबकि they are getting all benefits from the Government. They are using the roads of the Government, basic facilities and governance provided by the Government. To that Government they say: "I do not want to take part in the Government." जो व्यक्ति वोट नहीं देता, सरकार का हिस्सा नहीं बनता। अगर यहां पर चर्चा की जाए, किसी मंत्री से पूछा जाए, डॉ. हर्षवर्धन जी बैठे हैं, उनसे पूछा जाए और अगर कोई पॉलिसी मैटर होगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि हम सरकार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे कि हम सरकार से बात करेंगे। आखिरकार खोजते-खोजते सरकार कहां मिलती है, सरकार जनता में मिलती है, वोटर में मिलती है। जब वे हिस्सा ही नहीं बनते हैं, वोट डालने नहीं जाते। What more locus stand they have to criticize? So, they must be told इस चर्चा के माध्यम से हमें मौका मिलता है कि convey a message to those who are very passive and to those who are coming forward in front in criticizing. तो क्रिटिसिज्म के लिए या इसकी जो एब्रेशंस हैं, डेमोक्रेसी के एब्रेशंस पूरे विश्व में है। हमारे यहां भी अबरेशंस हैं। I am not saying that abreactions are not there. Aberrations are all over in the world. पॉलिटिक्स के प्रति निगेटिज्म बहुत हो गया है। उनसे यह पूछा जाए कि क्या वे फ्यूडल स्टेज में जाना चाहेंगे? क्या राजतंत्र को बर्दाश्त करेंगे? तभी उन्हें पता चलेगा कि कितना अत्याचार उस समय जब जमींदारों का राज हुआ करता था, राजाओं का राज हुआ करता था या सामंतवाद हुआ करता था या जो भी गवर्नेंस के सिस्टमस पास्ट में रहे हैं, उस समय आम जनता की क्या स्थिति है?

इलेक्शन कमीशन को कुछ न कुछ पैरामीटर्स और नार्म्स बनाने चाहिए। सरकार के स्तर पर भी होना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रम में भी इसको इन्वोल्व किया जाना चाहिए। Why voting is necessary? Those who are critic of the Government or critic of the whole political system and of course, in one voice, they dismiss everyone. They must be reminded of their duty or their conscience. The voting percentage should increase. A large number of voters must be brought up in the net of franchise or in casting the vote. That is necessary. I am not in favour of compulsory voting. But definitely, there must be some reformative measures. At the end, I say that so much of negativism about the democracy, so much of negativism about electoral politics has to be curbed. This is a very dangerous trend to the country. Even the younger generation thinks that the politics is not for the good people. इस तरह का जो सेंटीमेंट्स और भावनाएं पैदा हो रही हैं, वह देश के लिए हेल्दी साइन नहीं हैं। इसलिए करीकुला के माध्यम से डिबेट के माध्यम से these things should be taken care of.

+++

(पृष्ठ 4 का शेष)

यह है कि मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि इन तीनों कास्ट्स को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रपोजल नहीं आया है। ऐसा राज्य सरकारों की कोताही के कारण हो रहा है। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। इसी तरह की प्राब्लम राजस्थान के शिड्यूल्ड ट्राइब मीणा भी फेस कर रहे हैं। इसके कारण बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं। प्रश्न संविधान की धाराओं – 341 और 342 अनुसूची से बाहर निकाले व जोड़ने की नहीं है, यह सवाल कुछ हटकर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके लिए आरजीआई की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। यह मैं जानता हूं और मुझे इसके बारे में आयोग की भूमिका के बारे में पता है. जो ऑलरेडी दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण वे रिजर्वेशन बेनिफिट से वंचित रह जाते है। यहां केबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं। पूरे देश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र एक बड़ी समस्या बन गए है। खासतौर से मैंने अनुसूचित जनजाति की केटेगरी में देखा है। चूंकि अदालतों में 15-15 या 20-20 साल तक फाल्स कास्ट सर्टिफिकेट्स के मुकदमे पड़े है। तब तक वे कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इस कारण आरक्षित केटेगरी के लोगों को बेनिफिट न मिलकर दूसरों को मिल रहा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी क्या रिमेडी है ?

अजा/जजा को मिलने वाली छात्रवृत्ति का मुद्दा

शून्य काल के दौरान - (1[illegible] मार्च, 2015)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज बहुत ही महत्पूर्ण मुददे की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों में जो स्कूल हैं और खास तौर से जो प्राइमरी स्कूल है, उनमें पढ़ाई नाम मात्र की रह गई। क्वॉलटी ऑफ टीचर्स बिल्कुल खराब है और उनकी तुलना में पब्लिक स्कूल्स के बच्चों में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। उसका एक कारण यह भी है कि स्कॉलरशिप उनको जो मिलती भी है वो बाद में मिलती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्कॉलरशिप शुरू में जैसे ही एडमीशन ले लिया जाता है, 6 महीने की पहले दे दी जाए ओर ज्वाइंट एकाउंट प्रिंसिपल के साथ खोल दिया जाए और हर महीने या हर तीन महीने बाद उनको दी जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई कर सकें। दूसरी बात रह है कि दो लाख से ज्यादा जिन पैरेंट्स की इंकम है. उनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है जबकि ओबीसी की 6 लाख की आय की सीमा है। तो ऐसे ही 6 लाख की इंकम लिमिट इनकी भी कर दी जाए। तमाम एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है लेकिन वह पैसा खर्च नहीं किया जाता है। यूजीसी द्वारा पिछले वर्ष 3 प्रतिशत ही धनराशि दी गयी, क्योंकि यूजीसी ने पहले वाला पैसा खर्च नहीं किया था।

तमिलनाडु में दलित उत्पीड़न का मुद्दा

शून्य काल के दौरान - (2[illegible] मार्च, 2015)

19 मार्च को कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा तमिलनाड़ के [illegible]गिरी जिले में एक युवक को जबरदस्ती पेशाब पिलाने की घटना सामने आयी तो डॉ0 उदित राज जी ने लोक सभा में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस पर सुश्री जयललिता के नेतृत्व वाली ए.आई.डी.एम.के. के सांसदों ने हंगामा करके पूरी बात कहने से रोक दिया।

एनआईटी में आरक्षण की अवहेलना का मामला

शून्य काल के दौरान - (2[illegible] अप्रैल, 2015)

सभापति महोदय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सभी वर्ग के लोगों को टीचिंग फैक्लटी और स्टॉफ में होना चाहिए। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी है। अप्रैल, 2014 में स्टॉफ की भर्ती के लिए एडवर्टिजमेंट निकाला गया था, 20 उम्मीदवारों में एक भी शिड्यूल कास्ट का नही था। नवम्बर 2014 में भी टीचिंग स्टॉफ के लिए एडवर्टिजमेंट निकाला था, उसमें भी कोई एससी नहीं था। जब आरटीआई से रिक्रूटमेंट रूल मांगे गए तो उन्होंने कहा कि इसे आप गूगल पर देख लीजिए। टीचिंग एग्जामिनेशन का पार्शियल रिजल्ट घोषित किया गया। मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्ट्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं that NIT in not above the Constitution. Rules of reservation must be applied there also. The Director and the Chairman of the NIT in Delhi are flagrantly violating the reservation rules. एचआरडी मिनिस्ट्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं, मेरे पास इससे संबंधित बहुत फैक्ट्स है, but thank you so much for giving me an opportunity to say a few words.

मल्टीनेशनल कंपनियों में महिलाओं व दलितों को डायरेक्टर नियुक्त करने का मुद्दा

प्रश्न काल के दौरान (2[illegible] अप्रैल, 2015)

धन्यवाद मैडम. आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया । मैडम, हमारे देश में कंपनीज बहुत रिलक्टेंट होती हैं। जैसे अभी कंपनीज में वीमेन डायरेक्टर्स की नियुक्ति की बात आई है। अभी जर्मनी में जर्मनी सरकार ने, वहां की चांसलर यह मैंडेटरी किया है कि 30 प्रतिशत टॉप रैंकिंग फीमेल कंपनीज में ली जांएगी। वहां की चांसलर मर्कल ने जर्मनी में 30 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया है। हमारे यहां दिक्कत है कि एक तरह से मेंटल ब्लॉक है, कंपनीज सोचती हैं कि इससे घाटा होगा, जबकि जर्मनी, अमेरिका आदि सभी देशों में ऐसा होता है। डेढ़-दो साल पहले की फिगर है कि 150 के आस-पास ब्लैक ओरिजिन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की कंपनी में कार्यरत थे। अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनीज जब लाभांश डिक्लेयर करती हैं, तब यह भी डिक्लेयर करती हैं कि कितनी महिलाओं, एथनिक ओरिजिन के लोगों ब्लैक्स, हिस्पैनिक और एबोरिजिन्स को जॉब्स दिए। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोगों को सेंसटाइज करें और कंपनीज को कहें कि अगर ऐसे वीमेन डायरेक्टर्स बनाते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स लोगों को डायरेक्टर बनाती हैं तो इससे कंपनी को घाटा नहीं होगा, बल्कि उनकी स्किल अपग्रेड करके ऐसा किया जा सकता है और इससे उनका काम बढ़ेगा। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि जहां पर वीमेन डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया है। इसके लिए उनको सेंसिटाइज करें। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार एफर्ट कर रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर मांग पर चर्चा के दौरान मांग की कि दलितों के लिए आबंटित फंड इनकी शिक्षा पर ही खर्च हो (2[illegible] अप्रैल, 2015)

धन्यवाद मैडम. आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए अपको धन्यवाद देता हूं। आज सदन में डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स अंडर दि कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी पर चर्चा हो रही है। जो पैसा दिया जा रहा हैं, उसका मिसयूटिलाइजेशन, अंडरयूटिलाइजेशन भी बहुत है। माननीय मंत्री जी कोशिश कर रही हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के लिए जो पैसा दिया, उसे वहां के वाइस-चांसलर ने डायवर्ट कर दिया, उसी तरीके से शिड्यूल्ड कास्ट्स कंपोनेंट प्लान में जो पैसा शिड्यूल्ड कास्ट्स स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए दिया गया था, वर्ष 2013-14 में उसमें से केवल तीन प्रतिशत पैसा खर्च किया गया और 97 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं हो सका। इस तरह की चीजें हो रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय के बारे में भी मंत्री जी चिन्तित हैं। हम लोगों को जिस तरह की विरासत मिली है, उसे दुरूस्त करना है। वहां पर ट्रांसफर-पोस्टिंग के रूल्स-रेगुलेशन्स की बहुत बैंडिग की गयी, उनको ट्विस्ट किया गया है। सरकार और मंत्री महोदया से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा को इस तरह बनाया जाए कि जो स्टूडेंट्स शिक्षित होकर निकल रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी एवं नैतिकता को समझ सकें। हमारे कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स स्टूडेंट्स को यह भी नहीं बता सकें कि सफाई करना चाहिए। हमारे यहां की एजुकेशन का इतना फेल्योर रहा कि प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में कहना पड़ा। इसलिए हमें शिक्षा में बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है।

आई.आई.टी. रूड़की से निकाले गए छात्रों का मुद्दा

शून्य काल के दौरान (27 जुलाई, 2015)

स्पीकर महोदया, आपने मुझे बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आई.आई.टी. रूड़की के बारे में बोलना चाहता हूं। वहां से 71 स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया, जिसमें से 31 स्टूडेंट्स अनुसूचित जनजाति, 23 स्टूडेंट्स अनुसूचित जाति और अन्य सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं। अभी हाल में एक सर्वे किया गया कि दुनिया में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनमें भारत का क्या स्थान है? 300 में से आई.आई.टी. को भी स्थान नहीं मिला, किसी यूनिवर्सिटी को स्थान नहीं मिला। इन आई.आई.टी.ज़ को पैसा और संसाधन मिलते हैं, जमीन की भी कमी नहीं है। इनको एटोनमी है, They can take a decision. Why have they not been positioned to build the institution of international level and repute but they are ahead in victimizing rural background students? मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, नॉन प्रैक्टिकल एजुकेशन और थ्योरी की वजह से रिसर्च में बहुत पीछे हैं, इस कारण इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि इनमें बेसिक टेलेंट नहीं है, बेसिक ग्रे मैटीरियल नहीं है कि वे आईआईटी न कर सकें। इनको निकाला नहीं जाना चाहिए।

एअर इंडिया में पॉयलटों की भर्ती का मुद्दा

नियम 377 के दौरान (27 जुलाई, 2015)

स्पीकर महोदया, एअर इंडिया में ट्रेनी पॉयलट की भर्ती ए-320 विमान हेतु होनी थी जिसमें से 78 अभ्यर्थी चुने गए। इसमें 14 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जन जाति, 18 ओबीसी एवं 62 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सफल हुए। वहां पर अभी भी 14 अजा, 12 अजजा और 87 ओबीसी के पद खाली हैं। गृह मंत्रालय के आदेश संख्या O.M. No. 1/1/70-Estt. SCT, 25th July, 1970 के अनुसार यदि अजा/जजा वर्ग के अभ्यर्थी उनके द्वारा निर्धारित पदों से कम संख्या में क्वालीफाई करते हैं तो चयन में अजा/जजा वर्ग के लोग जो मेरिट में नीचे हैं, को लिया जा सकता है लेकिन खाली पद होने के बावजूद उन्हें नहीं लिया जा रहा है।

डी.ओ.पी.टी. के अजा/जजा/ओबीसी के लिए आरक्षण के क्लाज 3.8 के अनुसार आरक्षित पदों को जनरल स्टैंडर्ड के मापदंड पर नहीं भरा जा सकता। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित छूट मिलनी चाहिए।

उपरोक्त भर्ती में ज्यादातर अभ्यर्थियों को साइकोमैट्रिक टेस्ट के बेसिस पर रिजेक्ट किया गया, जबकि इस प्रकार का टेस्ट का उल्लेख एअर इंडिया द्वारा जारी विज्ञापन में नहीं था। इस टेस्ट में कुछ अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया गया है, वे ज्यादातर अजा/जजा/ओबीसी वर्ग से हैं और गरीब हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया है। वे योग्य भी हैं, इसलिए उन्हें इस भर्ती में समायोजित किया जाना चाहिए।

पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा

शून्य काल के दौरान (31 जुलाई, 2015)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कर रहा हूं। सन् 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। उसके बाद वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ मेरे नेतृत्व में आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी के लिए बना। वाजपेयी जी के साथ तमाम बैठकें हुई, आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत महान काम किया और 85वां संवैधानिक संशोधन पास किया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में और वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नागराज के नाम से यह केस लड़ा जाता है और पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार हमें मिलता है, अर्थात, 85वां संवैधानिक संशोधन को मान्य किया जाता है। फिर 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना कर दिया। उसके बाद वह केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पदोन्नति में आरक्षण से विसंगतियां पैदा हुई है। वर्ष 2012 में यह बिल राज्य सभा में पास हो चुका है लेकन लोक सभा में पास नहीं हो पाया। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसी सत्र में पदोन्नति में आरक्षण का बिल लाए और पास करे। यही सरकार से अनुरोध है। लखनऊ हाई कोर्ट की दो जजेज की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना किया, जबकि नागराज केस में पांच जजेज की बेंच थी। उसके हिसाब से भी पदोन्नति में आरक्षण बरकरार रहना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और अधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। उनका डिमोशन हो रहा है, इसे फौरन रोका जाना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि लोकसभा में इसी सत्र में पास करके लाखों एससी, एसटी अधिकारियों और कर्मचारियों का रिवर्सन रोका जाए। इनका फरदर प्रमोशन ब्लॉक हुआ है, उसे भी दुरुस्त किया जाए। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ किया है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह रास्ता साफ किया है, हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए हैं। बिहार, राजस्थान राज्य में कमेटी बनाकर पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। मेरा कहना है कि इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है।

आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अजा/जजा की समितियों को सुविधाएं व उनकी शिकायतों के निवारण का मुद्दा

नियम 377 के अंतर्गत (12 अगस्त, 2015)

अध्यक्ष महोदया, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लगभग सभी विभागों में अनुसूचित जाति एवं जाति जाति कल्याण समितियां बनी हुई हैं। इन समितियों का उद्देश्य अजा/जजा वर्ग के कर्मचारियों की समस्याएं उठाना है, लेकिन ज्यादातर मैनेजमेंट द्वारा उनके मामलों पर सुनवाई नहीं की जाती है। अजा/जजा से संबंधित समितियों को बुनियादी सुविधाएं जैसे – कार्यालय इत्यादि नहीं मुहैया कराया जाता और उनसे अलग से मीटिंग इत्यादि नहीं की जाती। कुछ स्थानों पर सामान्य वर्ग की यूनियनों के द्वारा अथारिटीज पर दबाव बनाया जाता है कि वे अजा/जजा वर्ग की समितियों को मान्यता न दें और उनकी समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। अजा/जजा वर्ग की समितियों को

(शेष पृष्ठ 6 पर)

डॉ. भीमराव अंबेडकर

माननीय डॉ. उदित राज द्वारा संसद में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष

दलितों व गरीबों को आवंटित भूमि पर मालिकाना हक का मुद्दा

शून्य काल एवं नियम 377 के तहत (9 दिसंबर, 2014)

माननीय अध्यक्ष महोदया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत दलितों को आवासीय प्लाट एवं कृषि योग्य भूमि दिल्ली में आबंटित की गयी थी लेकिन 38 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें भूमिधरी अधिकार अभी तक नहीं मिल सके हैं, जिसके कारण आज तक वे मालिकाना हक से वंचित हैं। कुछ स्थानों पर उनकी इस आबंटित जमीन पर पार्क बना दिए गए हैं तो कुछ स्थानों पर इसे ग्राम समाज की जमीन घोषित कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि वे अपनी जमीन पर कोई भी गतिविधियां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि किसी भी समय सरकार उनसे यह जमीन वापिस ले सकती है। इस सम्बंध में मैं कहना चाहता हूं कि गत् 38 सालों से उपरोक्त जमीन पर इनका कब्जा है या खेती-बाड़ी कर रहे हैं। कानून भी है कि 12 साल तक जिसके कब्जे में जमीन रहती है, उस पर उसका मालिकाना हक बन जाता है। लेकिन आज तक उन्हें अपने लिए आबंटित की गयी भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। इनमें से ज्यादातर लोग दलित, गरीब एवं पिछड़े वर्ग से हैं। वे दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक इनके मामले में फैसला नहीं हो सका है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज ही उन्हें उपरोक्त भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। यद्यपि वे लोग इन जमीनों पर काबिज हैं लेकिन यह उनके नाम से नहीं है।

एक राज्य से बना जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो

शून्य काल के दौरान (16 दिसंबर, 2014)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे देश से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग दिल्ली में आते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के स्टेट रिजर्वेशन को यहां डिनाई किया जाता है, जबकि वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था। फरवरी, 2013 में, अटार्नी जनरल ने भी एक निर्णय में व्यवस्था दी थी कि जो लोग बाहर से दिल्ली आते हैं और राज्य सरकारों से बने प्रमाण-पत्र दिखाते हैं तो उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में दिल्ली सरकार ने मई 2003 में एक आदेश जारी किया था। बावजूद इसके ये लोग आरक्षण से वंचित किए जा रहे हैं। हाल ही में एमसीडी में टीचर्स की भर्ती की गयी थी। 5 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया हुआ है । वे आरक्षण से वंचित हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक शिक्षकों को भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मैडम, आपके माध्यम से, मैं शहरी विकास मंत्री एवं राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को, जो राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से आते हैं, उनके लिए दिल्ली में आरक्षण की सुविधाएं दी जाएं।

एम्स में आरक्षण का मुद्दा

शून्य काल के दौरान (19 दिसंबर, 2014)

माननीय अध्यक्ष महोदया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) देश में जाना-माना संस्थान है। यह संस्थान आरक्षण की अवहेलना करने के लिए भी जाना जाता है। इसने सेवा नियमों का भी उल्लंघन किया है। तमाम महत्त्वपूर्ण समितियों ने भी रोटेशन सिस्टम का पालन करने की संस्तुति दी है। जावेद चौधरी कमेटी, विद्यानाथन कमेटी, पार्लियामेंटरी कमेटी आदि ने भी ऐसी सिफारिशें की हैं, लेकिन इस संस्थान को आरक्षण नीति का उल्लंघन करते समय किसी की भी चिंता नहीं है। 2013 में एम्स में 164 भर्तियां हुई थीं, जिनमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद एम्स में वरिष्ठता एवं रोस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ। महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि स्वायत्तता के कारण, जब सरकार का सीमित हस्तक्षेप है, तो नियमों का उपहास करते हुए उन्हें दलितों-वंचितों और जिन बच्चों की ऊंची पहुंच नहीं है, को प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

एससीपी और टीएसपी का पैसा अजा/अजजा के विकास पर ही खर्च किया जाए

शून्य काल के दौरान (22 दिसंबर, 2014)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे शेड्यूल्ड कास्ट्स कंपोनैन्ट प्लान - शेड्यूल्ड ट्राईब प्लान पर बोलने का अवसर दिया गया है। प्रत्येक बजट में एक निश्चित राशि (Special Component Plan and Tribal Sub Plan) शीर्षक के अंतर्गत जारी की जाती है। इस वर्ष योजनागत बजट 4,65,277 करोड़ है और अनुसूचित जाति के लिए 30,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि आबादी के अनुपात में 77,235 करोड़ होना चाहिए था। अतः 46,385 करोड़ का हक छीन लिया गया है। इसी तरह से जन जाति का 20,034 करोड़ की कटौती की गयी है। जन जाति को 19,979 करोड़ मिले जबकि 40,013 करोड़ मिलना चाहिए था। इस बार बजट में दी गयी राशि (Special Component Plan and Tribal Sub Plan) की नीति के अनुरूप नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्तमंत्री से कहना चाहूंगा कि अगले बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए, जिसके द्वारा बजट में इस शीर्षक के अंतर्गत राज्यों को दी गई राशि का प्रयोग केवल एस.सी./एस.टी. की गतिविधियों हेतु ही किया जाए।

जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आरक्षण का मुद्दा

शून्य काल के दौरान (24 फरवरी, 2015)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यहां उन लोगों की बात उठाने जा रहा हूं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। अगर रिजर्वेशन न होता तो आज भी इनकी हालत नारकीय होती। पोलिटिक्स और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होने की वजह से इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसने वर्ष 2011 के एडमिशन में रिजर्वेशन देने से मना किया। वर्ष 2014 में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में रिजर्वेशन लागू करने के लिए डिनाई किया। क्या जामिया यूनिवर्सिटी को कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट नहीं मिलती है? क्या टैक्स पेयर्स की मनी उन्हें नहीं जाती है? उन्होंने माईनोरिटी को रिजर्वेशन दिया, यह ठीक बात है। एससी और एसटी के रिजर्वेशन को समाप्त किया गया है? अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। जामिया यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहां पहले उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता रहा है लेकिन अब क्या वजह है कि रिजर्वेशन डिसकन्टीन्यू हुआ है? मुझे यही पैटर्न अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में भी देखने को मिला है। मैं अनुरोध करूँगा कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!

एससीपी व टीएसपी के बजट का दुरुपयोग रोका जाए

नियम 377 के तहत - (24 फरवरी, 2015)

माननीय अध्यक्ष महोदया, केंद्रीय बजट में (Special Component Plan and Tribal Sub Plan) शीर्षक के अंतर्गत एक निश्चित राशि का प्रावधान किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने का प्रभावी मापदंड नहीं है। यह सर्वविदित है, कि विभिन्न राज्य सरकारें इस राशि को दूसरी योजनाओं में लगा रही हैं। इस बार एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि पहले की भांति ही यह राशि राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी जाएगी या इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। यह बात भी सामने आयी है कि कुछ राज्य सरकारें एस.सी./एस.टी. के विरुद्ध काम कर रही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस राशि को खर्च करने के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया जाए।

अजा/अजजा वर्ग को लघु व मध्यम उद्योगों में बढ़ावा मिले

शून्य काल के दौरान - (10 मार्च, 2015)

अध्यक्ष महोदया, लघु एवं मध्यम उद्योगों में एससी और एसटी का जो पार्टिसिपेशन है, वह बहुत ही कम है। वह पहले 11-12 पर्सेंट हुआ करता था, अब घट कर 9 पर्सेंट के आस-पास हो गया है और दिनों-दिन घटता चला जा रहा है, जबकि रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज केवल 7 पर्सेंट के आस-पास ही हैं। हम आपके माध्यम से एम.एस.एम.ई. मिनिस्टर से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए और ज्यादातर ये लोग एपेरल में, लैदर में काम करते हैं, मलिन और अनहाईजीनिक पेशे में भी अभी लगे हुए हैं। इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनकी भागीदारी बढ़ायी जानी चाहिए।

बजट पर चर्चा के दौरान मांग की कि दलितों के लिए आवंटित धन इन्हीं पर खर्च हो - (17 मार्च, 2015)

मैडम, थोड़ा सा मुझे ज्यादा समय दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने किसी सांसद को राजस्व प्रबन्धन, राजस्व वसूली और खर्च प्रबन्धन के बारे में बोलते नहीं सुना है। मैं एक राजस्व प्रशासक रहा हूं, प्रत्येक सांसद, वित्त मंत्री और वित राज्यमंत्री से कुछ लेना चाहते है, उनके पक्ष में कोई नहीं बोलता रहा है, वित्त मंत्री और वित्त राज्यमंत्री संसाधन कैसे जुटाए। हमारी इस समय आय 11.7 लाख करोड़ रुपये की है और खर्च 16.8 लाख करोड़ रुपये का है। मतलब यह कि हमारी जो कमाई है, वह कम है। मैडम, इसमें इतना गैप है 5-6 लाख करोड़ रुपये का, तो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से सरकार प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी? 4.1 लाख करोड़ रुपये हम इंट्रेस्ट पेमेंट कर देते है, तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बहुत कम बचता है। पूरे देश में एक ओपिनियन बिल्डअप हो गई है जिसमें पोलिटीशियन और ब्यूरोक्रैट्स विलेन की तरह पेश किए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैरेसमैंट कर रहे है और पोलिटीशियन भी सारे के सारे गलत हैं। ऐसा एनवायरमेंट है जो सही नहीं है। मैं एडीशनल कमिश्नर इनकम टैक्स था। मैंने देखा है कि कितना रैवेन्यू का लीकेज है। अगर यहाँ पर रैवेन्यू प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो फिजकल डैफिसिट तो पूरा हो ही सकता है, सारे फंड को भी मैनेज किया जा सकता है। मैं मैनेजमैंट की तरफ आना चाहूंगा कि जो एस.सी.सी.पी है, शैड्यूल्ड कास्ट्स कंपोनैन्ट प्लान है, शैड्यूल्ड ट्राइब प्लान है, इसमें पैसा जाता तो है, लेकिन वहाँ पर स्टेट में वह खर्च नहीं किया जाता। उड़ीसा का उदाहरण मैं दूँगा। पैसा जो यहाँ से जाता है, वह शैडयूल्ड कास्ट्स के ऊपर खर्च करने के बजाय, शैडयूल्ड ट्राइब्ज पर खर्च करने की बजाय उससे ब्रिजेज बनाए जाते है, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, उसे कॉमनवैल्थ गेम्स को दे दिया जाता है। इसलिए अगर और चीजों की मॉनीटरिंग के लिए जैसे एच.आर.डी. मिनिस्ट्री में, तो वहाँ की 40 लोगों की एक टीम है मॉनीटर करने के लिए। इसी प्रकार आपके द्वारा मैं माननीय वित्त मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस काम के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इसके लिए दी गयी राशि एस.सी./एस.टी के ऊपर खर्च की जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी स्कीमों के लिए यहाँ से पैसा दिया जाए, इसके उपर सैन्ट्रल गवर्नमैंट की मॉनीटरिंग होनी चाहिए।

दूसरे राज्यों के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी होने में समस्या लेकिन फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बन जाते हैं

प्रश्न काल के दौरान - (17 मार्च. 2015)

दिल्ली में तमाम जातियां आकर रहती हैं। तमिलनाडु की तीन मुख्य जातियां-परलन, आधि द्रविर और अरुणधतियार यहां काफी संख्या में रहती है, जो चालीस-पचास साल पहले माइग्रेट होकर यहां आई थीं। कुछ केसेज में कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू किए गए, लेकिन अधिकांश केसेज में कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया गया। जब वे लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते है तो यहां का एडमिनिस्ट्रेशन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को लिखता है इस ट्रांजिट में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कई बार उनको सफलता नहीं मिलती, कई बार राज्यों से संबंधित विभागों से कोई उत्तर नहीं आता, जिसके कारण दिल्ली में आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पाती। इसकी वजह से दिल्ली में एससी-एसटी की तमाम सीट्स खाली रह जाती हैं, जबकि कैंडिडेट्स की अवेलिबिलिटी है। दूसरी बात

(शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या सांसद अपना काम कर रहे हैं ?

डॉ. उदित राज
संसद सदस्य (लोक सभा)
राष्ट्रीय चेयरमैन,
अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का
अखिल भारतीय परिसंघ

जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों को संसद या विधान सभाओं में कानून बनाने के लिए चुनकर भेजा जाता है। वर्तमान हालातों को देखते हुए क्या कहा जा सकता है कि ये अपने दायित्व को निभा पा रहे हैं ?विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। क्या वास्तव में ये कानून बना पा रहे हैं ? ज्यादातर समय एवं ऊर्जा इनकी कहां लग रही है, इसकी जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। कौन सी परिस्थितियां हैं जो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के आड़े आ रही हैं ? आंतरिक लोकतंत्र में कितना परिवर्तन आया है ?क्या जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है ?मीडिया की भूमिका विधायिका के काम-काज में कैसी है ?

जनता की उम्मीदें विधायिका से ज्यादा हैं। जब उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं होता है तो असंतोष और निराशा का जन्म होता है। इसमें जनता की भी सोच गलत नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के निर्माण में इनकी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। समयांतराल में क्या जनता ने अपनी जिम्मेदारी का वहन किया है? ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि सरकार ही सबकुछ करे, जैसे कि नागरिकों की जिम्मेदारी रह ही न गयी हो। अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र में सरकारी एवं गैर-सरकारी सहयोग से शौचालय बनाने के लिए कुछ संसाधन तो जुटाया लेकिन यक्ष प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि उनकी देख-रेख कौन करेगा ?बनाने के पहले यह सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि कौन सी सरकारी एजेंसी इसका रख-रखाव करेगी। पार्कों से गेट रात में चोरी हो जाए या तोड़ दिया जाए तो भी सरकार जिम्मेदार। क्या जो जनता उसका इस्तेमाल कर रही है, उसकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती ? जो कार्य खुद जनता के द्वारा किया जाना चाहिए, वह भी जनप्रतिनिधियों के हवाले होता जा रहा है। अगर एक सांसद 12 घंटे काम करता है तो उसमें बहुत संभव है कि 11 घंटे साफ-सफाई, सड़क, बिजली, पुलिस, ट्रांसफर-पोस्टिंग, पानी, एडमीशन, झगड़ा, शादी-विवाह, जन्म-मृत्यु, पूजा-पाठ आदि से संबंधित कार्यों को निबटाने में ही इस्तेमाल हो जाता है। हो सकता है कि पूरा ही समय इसी में लग जाता हो। यदि कोई पढ़-लिखकर बोलना भी चाहे तो वर्तमान हालात में ज्यादातर निराशा ही हाथ लगेगी। संसद एवं विधान सभाओं में शोर-शराबा, बहिष्कार आम बात हो गयी है। ऐसे में कानून को समझने, बनाने एवं कोई नया कर गुजरने वाले लोग राजनीति में हतोत्साहित हुए हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को सक्रिय होने का अवसर मिला है, जो सुबह से शाम तक जनता के साथ घुले-मिले हों। क्या जनता भी इसकी आदी हो गयी है ?

जब से सांसद हुआ हूं यदि सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर निराशा है तो पढ़ाई-लिखाई का। पहले कई अखबार पढ़ जाता था और लिखने का समय मिल जाता था लेकिन अब वह सब पीछे छूट गया है। संसद में जब नहीं पहुंचा था तो सोचता था कि अगर अवसर मिला तो तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा। अभी भी हतोत्साहित तो नहीं हुआ हूं लेकिन संसद ही नहीं चल पा रही है। ऐसे में गंभीर चर्चा संभव नहीं हो पा रही है। गत् दो दशक से ऐसा माहौल हो गया है कि जो भी पक्ष करे उसका विरोध विपक्ष को करना ही है। जनता ही लगाम लगा सकती है, लेकिन वह ज्यादातर अपने निजी कार्यों से संतुष्ट हो जाती है। क्या जनता को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए कि जो पार्टी ऐसा करे, उसका बहिष्कार करे। संसद और विधान सभा में उसका प्रतिनिधि चाहे जितना गंभीरता से क्षेत्र के मुद्दे को उठाए लेकिन कार्यकर्ता या प्रभावशाली लोगों के यहां शादी-विवाह या उनके रोजमर्रा की समस्याओं में न शामिल हो तो समझो कोई बड़ा काम नहीं किया। जिन्हें विधायिका में बने रहना है, वे परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल चुके हैं। उनकी प्राथमिकता लोगों के निजी एवं भावनात्मक जीवन में शामिल होने की वरीयता बन जाती है। यह देखा गया है कि क्षेत्र का विकास करने वाला प्रतिनिधि इतना लोकप्रिय नहीं होता, जितना कि लोगों के व्यक्तिगत् मामलों में घुलना-मिलना।

अमेरिका, न्यूजीलैंड, कोरिया, इग्लैंड आदि देशों की विधायिका की प्रणाली को देखा तो हमारे यहां से बहुत भिन्न है। वहां जनप्रतिनिधियों का मूल काम कानून बनाना ही रहता है। अमेरिका में सीनेटर या कांग्रेसमैन हमारे यहां के एक अधिकारी की तरह काम करते हैं। सरकार की तरफ से कार्यालय एवं स्टाफ की मजबूत व्यवस्था होती है। कांग्रेसमैन या सीनेटर को निजी सचिव या स्टाफ के द्वारा नीतियों और मामलों से अवगत कराया जाता है। वहां के जनप्रतिनिधि लोगों के निजी रोजमर्रा के कार्यों से घिरे नहीं रहते। 4-5 घंटे से ज्यादा विधायिका एवं क्षेत्र के काम नहीं करते। शेष समय में पढ़ने-लिखने एवं नीति-निर्धारण एवं निजी कार्य करते हैं। अपनी इच्छानुसार तमाम विषयों में महारत हासिल करना और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों आदि के ऊपर सक्रियता बनाए रखना। इसको वहां पर लार्बिंग या कोकस कहते हैं। इस तरह से वहां के जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत ज्यादा है। हमारे जनतंत्र में अभी वह स्थिति नहीं पैदा हुई है कि यहां के सांसद एवं विधायक दूसरे देशों के मुद्दे पर लार्बिंग या चर्चा करें, अपवाद को छोड़कर। सत्र के समय हमारे जनप्रतिनिधियों पर दबाव रहता है कि कैसे खत्म हो और अपने क्षेत्र में भागें। उन देशों में लगभग पूरे साल सत्र चलता है। हमारे यहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रियता की बात तो दूर की है, दूसरे प्रदेश के बारे में भी ज्यादा न रूचि रखते हैं और न ही चर्चा।

धीरे-धीरे लगभग सभी दलों में आंतरिक लोकतंत्र में गिरावट आयी है। इसके लिए कुछ हद तक मीडिया की मेहरबानी है। 70 और 80 के दशक तक सांसद या विधायक अपने निजी ख्याल पटल पर रखते थे और जरूरी नहीं था कि पूरी तरह से पार्टी से सहमति हो। इसका यह मतलब नहीं कि वे पार्टी का विरोध करते थे बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा थी। अब वह परंपरा कमजोर हुई है और कभी-कभार यदि कोई जनप्रतिनिधि पार्टी के विरोध में नहीं बल्कि लोकहित में अपनी राय रखता भी है तो कुछ मीडिया के लोग ऐसा संवेदित बना देते हैं कि मानो वह पार्टी के खिलाफ झंडा ही उठा लिया हो या गुटबाजी कर रहा हो। पार्टी में मुद्दा बने या न बने लेकिन वह मीडिया में मुद्दा जरूर बन जाता है और अंत में पार्टी को भी सलाह देनी पड़ती है कि भाई ऐसा वे न करें।

संसद का यह सत्र लगभग बेकार जा रहा है। जीएसटी जैसे बिल पास हो जाने चाहिए थे, लेकिन संभावना नजर नहीं आती। व्यक्तिगत् एवं पार्टी हित सर्वोपरि हो गया है। कितने कानून बनाए गए, यह जानना मुश्किल नहीं है। यह भी एक कारण है कि न्यायपालिका कुछ कानून बनाने लगी है। जिस मकसद से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, क्या वह काम कर पा रहे हैं ?चुनाव के पहले और बाद में जनता की वरीयता विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर रहती है लेकिन जब चुनने का समय आता है तो जाति, धर्म, व्यक्तिगत् हित आदि प्रभावित करते हैं। क्या ऐसे में लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो सकता है ?

+++

अबोहर जैसी घटनाएं मानवता पर कलंक

जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगीं : डॉ0 उदित राज

नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 2015, डॉ0 उदित राज, सांसद एवं राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने कहा कि कल अबोहर, पंजाब की घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों को अतिशीघ्र कड़ी सजा देने की मांग की है। क्या हम चौदहवीं सदी में रहते हैं ? क्या यहां कानून का डर खत्म हो गया है ?पंजाब के फजिल्का जिले के अबोहर में हुई घटना को सुन कर तो कोई भी यही सोचेगा। भीम सिंह टांक और गुर्जाच सिंह के साथ नृशंसता करने वाले सवर्ण अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। भीम सिंह टाक के पैर भी काट डाले गये थे। जब लोगों को इस घटना का पता चला तो किसी तरह दोनों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन रास्ते में भीम सिंह टाक की मौत हो गयी। जबकि गुर्जाच सिंह अमृतसर के अस्पताल में जिंदगी मौत से संघर्ष कर रहा है। आज भी हो रही इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मशार करने वाली हैं। आज कुछ क्षेत्रों में दलितों की कुछ तरक्की हुई है, जिसे सवर्ण वर्ग के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न से संबंधित मुद्दे मैं विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फोरम के साथ-साथ संसद में भी उठाता रहा हूं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। दलित उत्पीड़न करने वालों को जब तक कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाओं को रोकना संभव नहीं है। इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, जिसमें से 10 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराएं लगायी गयी हैं। हमारी पंजाब सरकार से मांग है है कि उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमें दर्ज किए जाएं और इस मामले की सुनवाई स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा हो, जिससे पीड़ित परिवार को अतिशीघ्र न्याय मिल सके। मैं लंबे समय से देखता रहा हूं कि संबंधित अधिकारी ऐसे मामलों को अनुसूचित जाति/ जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज नहीं करते और जब ऐसे मामले आते हैं तो वे हल्की धाराओं, जैसे - जायदाद विवाद या लड़ाई-झगड़े का केस दर्ज करके मामले को रफा-दफा करने की कोशिश करते हैं। पंजाब सरकार से उम्मीद है कि वह ऐसा न करते हुए दलितों व पिछड़ों के खिलाफ हिंसा और जघन्य अपराधों के मामलों को गंभीरता से लेगी और दोषियों को उचित दंड की व्यवस्था करेगी।

+++

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष	:	600 रुपए
एक वर्ष	:	150 रुपए

अनुसूचित जाति का हक डकार रहे अंतर्जातीय विवाह

यूपी में जिला पंचायत की अधिकतर सुरक्षित सीटों पर दूसरी जाति धर्म में शादी करने वाली दलित महिलाओं का कब्जा

दलित महिला से शादी करके चमका रहे किस्मत

हालांकि भारत की संवैधानिक व्यवस्था को दुनिया में बड़ी लोकप्रियता हासिल है, लेकिन अब इसका दुरूपयोग करके दूसरे का हक मारने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। हमारी सरकारों की ढुलमुल नीति का ही परिणाम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में सुरक्षित सीटें पर उन दलित महिलाओं का कब्जा हो गया, जिन्होंने किन्ही कारणों से दूसरी जाति या धर्म के व्यक्ति से शादी की हुई थी।

बताया जाता है कि सदियों से तमाम भेदभाव झेल रहे रहे दलित पिछड़ों के लिए संविधान निर्माताओं ने उनकी भागीदारी हेतु न सिर्फ नौकरियों में आरक्षण की व्यवसथा की थी बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी मतदान के द्वारा चुने जाने वाले ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधान सभा, लोक सभा सहित तमाम राजनतिक क्षेत्रों में दलित पिछड़ों को भेजने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की थी जो आज भी बदस्तूर चली आ रही है।

बताते हैं कि आरक्षण का लाभ लेकर सदियों से तिरस्कृत चल रहे आरक्षित वर्ग के लोग जब नौकरियों व राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगें तो एक सोची समझी साजिश के तहत इनके बदमाश लोग फर्जी प्रमाण-पत्रों के सहारे नौकरी व राजनीति में भी लाभ पा गये। वहां सरकारों ने अपने वोट के चक्कर में ऐसी जातियों को आरक्षित श्रेणी में शामिल करना शुरू कर दिया जो किसी भी तरह से आरक्षण पाने के हकदार नहीं थे, बात यहीं खत्म होती तो और बात थी आरक्षण में कुठराघात करने वाले इन लोगों ने जब देखा कि हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है तो चार सौ बीस लोगों ने दलित-पिछड़ी महिलाओं से शादी करके राजनीति के क्षेत्र की सुरक्षित सीटें हथियाने की योजना बनाई जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं पूरे देश की कुछ सुरक्षित सीटों पर अन्तरजातीय एवं अन्तरधर्मीय विवाह करने वाली दलित महिलाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया, पहले तो सामान्य जाति के या मुस्लिम धर्म के लोगों को खतरा लगा कि कहीं ऐसा न हो हम अपनी इन पत्नियों को चुनाव में पैसे खर्च करके सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान बनायें और कानून दलित अधिकारों का हनन देखकर उनकी सदस्यता निरस्त कर दे, जानकार बताते हैं कि ऐसे लोगों पर जब कोई कार्यवाही न हो पायी, तो अन्य लोगों ने इस प्रयास में बढ़-चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया, जिसका प्रमाण इस बार हुए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। बताते हैं कि अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, सम्भल, हापुड़, गाजियाबाद आदि जिलों में आधे से ज्यादा सुरक्षित सीटें पर उन महिलाओं ने कब्जा कर लिया जिन्होंने अन्य जाति या धर्म में शादी कर ली थी। इस बार के जिला पंचायत चुनाव में अधिकतर संख्या दलित से मुस्लिम बनी महिलाओं की रही। बताते हैं कि अकेले बिजनौर में 6, सहारनपुर में 7, मुजफ्फर नगर में 5, मुरादाबाद में 4, अमरोहा में तीन ऐसी महिलाएं जिला पंचायत सदस्य चुनी गयीं। ये भले ही सामाजिक व धार्मिक एकता मानी जा सकती हो लेकिन दलित अधिकारों पर कुठराघात से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि यदि यही हाल रहा तो वह मामला तेजी के साथ गांव व शहर की तरफ दौड़ने लगेगा जो विधान सभा, लोक सभा में आरक्षित वर्गों के लिए परेशानी का सबब बनेगा।

राजनीतिक मुनाफे के लिए किसी का धर्म परिवर्तन करना ठीक नहीं है, यह गंभीर मामला है, इस संबंध में सही गलत का फतवा मुफ्ती से लेना होगा।

इमामे शहर सैय्यद मासूम अली आजाद

संविधान ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन धर्मपरिवर्तन सिर्फ इलेक्शन लड़ने या किसी खास फायदे के लिए न किया गया हो।

मौलाना अनवारूल हक (शहर इमाम) जामा मस्जिद चाहशीरी बिजनौर

यदि इस्लाम को आड़ बनाकर अपना मकसद पूरा करने के लिए कोई इस्लाम कबूल करे तो इसका कोई ऐतबार नहीं। हां , अगर कोई पहले से ही इस्लाम में दाखिल है और तब उसने एससी सीट पर चुनाव लड़ा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

मौलाना शम्सुद्दीन (इस्लामिक विद्वान) नजीबाबाद।

– विधान केसरी से साभार

✦✦✦

मुस्लिमों में शादी करने वाली दलित महिला का जाति प्रमाण-पत्र अवैध

इस बारे में विश्व दलित परिषद के अध्यक्ष भूपेन्द्र पाल चमार का कहना है कि दलित लड़कियों को इस तरह बहला-फुसलाकर शादी करने पर रोक लगनी चाहिये। यदि यह भी न हो सकते तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुस्लिमों को शादी करने के बाद उन्हें जाति प्रमाण-पत्र देना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस्लाम में बिना इस्लाम कबूल किए निकाह नहीं पढ़ा जा सकता और जब धर्म परिवर्तन हो गया तो आरक्षण का लाभ क्यों? न्यायालय या सरकारों को इसमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, यदि इसी तरह चलता रहा तो वह समाज व देश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

पाखंडी हैं भारत के अमीर, सिर्फ अपना भला करते हैं- फ्रेंच अर्थशास्त्र

नई दिल्ली। फ्रेंच इकॉनमिस्ट तोमा पिकेती पिछले सप्ताह टाइम्स लिटफेस्ट में शामिल होने मुंबई आए थे। उन्होंने इस समारोह में इंडिया एज ए वैस्टली अनईक्वल सोसायटी के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे। न्यू यॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इसके से पिकेती ने कहा कि उन्हें भारत के एलीट पाखंडी लगते हैं क्योंकि असामनता खत्म करने के लिए वे अपनी सरकार से आर्थिक विकास, मसलन बुनियादी ढांचा तैयार करने या चुनिंदा उद्योगों की मदद करने आदि, में संसाधन झोंकने की अपील करते हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स के इस संवाददाता के मुताबिक, पिकेती कहते हैं कि एलीट क्लास की सरकार से यह अपील और कुछ नहीं बल्कि घुमा-फिराकर खुद की सेवा करवाना है जिससे सिर्फ और सिर्फ अमीर-गरीब के बीच खाई बढ़ती है। उनकी राय में सरकार को प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए। पिकेती ने इस राय के समर्थन में कहा, वर्ल्ड वॉर्स से पहले फ्रांस के एलीट वही कहा करते थे जो आज भारत के एलीट कह रहे हैं कि विकास के बढ़ने से असमानता घटेगी। लेकिन, विश्व युद्धों के बाद फ्रांसीसी एलीट को यह कहते पाया जाने लगा कि कल्याणकारी कार्यों में सीधा निवेश ही सही रास्ता है। अपनी हालिया मशहूर किताब कैपिटल इन ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी में पिकेती ने कहा है कि बढ़ती असमानता से निबटने के एक तरीके के रूप में अरबपतियों पर भारी-भरकम टैक्स लगाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि असमानता अर्थव्यवस्था के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि समाज के लिए। पिकेती ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि इंडियन एलीट दूसरे एलीट्स की मूर्खतापूर्ण गलतियों से सीखेंगे, इतिहास से सबक लेंगे। पिकेती ने कहा कि भारत उन चीजों से उबर रहा है जिसे कई लोग एक प्रकार के समाजवाद में भयावह प्रयोग के रूप में देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्मत्य सेन जो कहते हैं वह पहली पंक्ति का समाजवाद नहीं है क्योंकि इसने स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक शिक्षा की अनदेखी की है। भारत के संभ्रांत वर्ग ने इतिहास से कल्याणकारी राज्य के विचार से डरना और उससे घृणा करना सीखा है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने कहा कि साल 1991 में भारत आर्थिक संकट के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था। तब आईएमएफ से वित्तीय राहत पाने के एवज में उसे वॉशिंगटन निर्देशित मुक्त बाजार व्यवस्था के अनुकूल अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की शुरुआत करने को मजबूर होना पड़ा। उसके बाद के सालों में धनी और शिक्षित वर्ग ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया जबकि गरीबों की तादाद और बढ़ गई है। पिकेती ने कहा कि हाल के दशकों में समृद्ध होने की वजह से इंडियन एलीट का भरोसा इसी इकॉनॉमिकल मॉडल से जुड़ गया। लेकिन, इस तथ्य को भी व्यापक स्वीकार्यता मिली है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अपर्याप्त निवेश राष्ट्र को पीछे से जकड़ा हुआ है। उन्होंने लेक्चर के दौरान कहा कि भारत भी उसी समस्या के समाधान में जुटा है जिसे अन्य देश निबटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बहुत पेचीदी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है।

http://www.patrika.com/

✦✦✦

माधोपट्टी गांव अधिकारी पैदा करने के लिए जाना जाता है

जौनपुर जिले में माधोपट्टी एक ऐसा गांव है, जहां से कई आईएएस और ऑफिसर हैं। इस गांव में महज 75 घर हैं, लेकिन यहां के 47 आईएएस अधिकारी विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं माधोपट्टी की धरती पर पैदा हुए बच्चे इसरो, भाभा, काई मनीला और विश्व बैंक तक में अधिकारी हैं। सिरकोनी विकास खण्ड का यह गांव देश की अंगूठी में नगीने की तरह जगमगा रहा है।

दरअसल, यहां प्रख्यात शायर रहे वामिक जौनपुर के पिता मुस्तफा हुसैन सन 1914 पीसीएस और 1952 में इन्दू प्रकाश सिंह का आईएएस की दूसरी रैंक में सलेक्शन क्या हुआ मानो यहां युवा वर्ग को खुद को साबित करने की होड़ लग गई। आईएएस बनने के बाद इन्दू प्रकाश सिंह फ्रांस सहित कई देशों में भारत के राजदूत रहे। इस गांव के चार सगे भाइयों ने आईएएस बनकर जो इतिहास रचा है

ऐसा नहीं है कि इस गांव में अधिकारी ही पैदा होते हैं, बल्कि अवसर, सोच एवं माहौल के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। आरक्षण विरोधियों को समझना होगा कि यदि दलितों को भी इस तरह का माहौल और अवसर मिले तो वे भी किसी से कम नहीं हैं।

वह आज भी भारत में कीर्तिमान है। इन चारों सगे भाइयों में सबसे पहले 1955 में आईएएस की परीक्षा में 13वीं रैंक प्राप्त करने वाले विनय कुमार सिंह का चयन हुआ। विनय सिंह बिहार के मुख्यसचिव पद तक पहुंचे। सन् 1964 में उनके दो सगे भाई क्षत्रपाल सिंह और अजय कुमार सिंह एक साथ आईएएस अधिकारी बने। क्षत्रपाल सिंह तमिलनाडु के प्रमुख सचिव रहें, श्रीप्रकाश सिंह IAS, वर्तमान में उ.प्र. के सचिव नगर विकास है। गरिमा सिंह IPS,सोनल सिंह IRS, बरहाल, विनय सिंह के भाई चौथे भाई शशिकांत सिंह 1968 में आईएएस अधिकारी बने। इनके परिवार में आईएएस बनने का सिलसिला यहीं नहीं थमा। 2002 में शशिकांत के बेटे यशस्वी न केवल आईएएस बने बल्कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 31वीं रैंक हासिल की। इस कुनबे का रिकॉर्ड आज तक कायम है।

इसके अलावा इस गांव की आशा सिंह 1980, उषा सिंह 1982, कुवंर चद्रमौल सिंह 1983 और उनकी पत्नी इन्दू सिंह 1983, अमिताभ बेटे इन्दू प्रकाश सिंह 1994 आईपीएएस, उनकी पत्नी सरिता सिंह 1994 में आईपीएस, भारत की सर्व प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में चयनित होकर इस गांव का मान और बढ़ाया।

पीसीएस अधिकारियों की तो यहां पूरी फौज है। इस गांव के राममूर्ति सिंह, विद्याप्रकाश सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, पीसीएस महेन्द्र प्रताप सिंह, जय सिंह, प्रवीण सिंह व उनकी पत्नी पारूल सिंह, रीतू सिंह, अशोक कुमार प्रजापति, प्रकाश सिंह, राजीव सिंह, संजीव सिंह, आनंद सिंह, विशाल सिंह व उनके भाई विकास सिंह, वेदप्रकाश सिंह, नीरज सिंह पीसीएस अधिकारी बने चुके थे। अभी हाल ही में 2013 के आए परीक्षा परिणाम में इस गांव की बहू शिवानी सिंह ने पीसीएस परीक्षा पास करके इस कारवां को आगे बढ़ायीं हैं। इस गांव के अन्मजेय सिंह विश्व बैंक मनीला में, डॉक्टर निरू सिंह, लालेन्द्र प्रताप सिंह वैज्ञानिक के रूप में भाभा इंस्टीट्यूट, तो ज्ञानू मिश्रा इसरो में सेवाएं दे रहे हैं। यहीं के रहने वाले देवनाथ सिंह गुजरात में सूचना निदेशक के पद पर तैनात हैं। ✦✦✦